



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन", मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल 462011
फोन नं.— +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam@mp.nic.in, website: www.peb.mp.gov.in

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा-2018 (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 03.05.2018	भरने की अंतिम तिथि : 17.05.2018
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 03.05.2018	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 22.05.2018
परीक्षा दिनांक व दिन	10.06.2018, रविवार
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	रु. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
10.06.2018 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:00 - 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 - 01:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू आई डी ए आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबल्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा-2018
(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1 (अ) , (ब)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये विभागीय नियम	03-25
2.	2.	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	26-45
3.	3.	परीक्षा का पाठ्यक्रम	46-52
4	4	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	53-62
5	प्रारूप-10	प्रश्नों / आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	63
6	प्रारूप-11	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	64

GNTST-2018

(GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

(स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिए)

मध्य प्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

**RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING IN
SELECTED GOVERNMENT TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)**

2018

FORMULATED AND ISSUED BY

**DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL**

अध्याय-1(अ)

शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु

चयन के लिए नियम 2018

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के “शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम” कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट -“अ”- में दिया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रखा गया है। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

वर्गों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ-जहाँ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-

- (अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।
- (ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक के नाम का शपथ-पत्र।
- (स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :-मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको को लेकर उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 की कक्षा 12वीं की भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

1.3.2.1 आशा कार्यकर्ता हेतु शैक्षणिक अर्हता 1.3.2 के समान होगी। साथ ही 5 वर्ष का सेवा अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

1.3.2.2 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

1.3.3 आयु सीमा :- अ. 1 जुलाई 2018 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

ब. आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2018 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

1.3.4 स्पष्टीकरण :- आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रिया:-

1.4.1 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूचियां श्रेणीवार एवं एम.पी.आनलाईन द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केंद्रवार सूची उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउंसलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 45 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न -पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में आशा कार्यकर्ताओं के लिये न्यूनतम अर्हकारी 40 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आशा कार्यकर्ताओं की मेरिट सूची पृथक से वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) उपलब्ध कराई जावेगी।

1.4.4 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता:- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।

1.4.5 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार योग्यताक्रम सूचियां बनायी जावेगी।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया:-

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा।

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु कुल सीटों में से आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षित की गई सीटों के विरुद्ध आशा कार्यकर्ता के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त सीट्स पर अन्य छात्राओं को आरक्षण अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

नोट - वर्ष 2018 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने के एक सप्ताह पश्चात् एम.पी.आनलाईन के माध्यम से छात्राओं को उनके द्वारा दिये विकल्प अनुसार मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा। एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा।

जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे, उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी अगले दिवस स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

1.5.2 प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची:- उम्मीदवारों को जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
5. जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।
6. आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र।

टिप्पणी:-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
- (ii) प्रवेश हेतु उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.6 चयनोपरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवा:-

तीन वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की शासकीय सेवा यदि शासन द्वारा दी जाये तो करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण-पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट -ब में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्हें विभाग की आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

परिशिष्ट -अ

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट - द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 1040 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

सीधी भर्ती एवं आशा कार्यकर्ता हेतु जी.एन.टी.एस.टी. की सीटों का विवरण

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल रिक्त सीटों की संख्या	अनारक्षित		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	
			सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.	सीधी भर्ती	आशा कार्य.
1.	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	31	14	2	4	1	5	1	4	0
2.	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर	37	16	3	5	1	7	0	5	0
3.	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	37	16	3	5	1	7	0	5	0
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	42	19	2	6	1	7	1	5	1
5.	जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा	29	13	1	4	1	5	1	4	0
6.	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	54	23	3	8	1	10	1	7	1
7.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	54	23	3	8	1	10	1	7	1
8.	जिला चिकित्सालय, सागर	54	23	3	8	1	10	1	7	1
9.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	54	23	3	8	1	10	1	7	1
10.	जी.एन.एम. सतना	54	23	3	8	1	10	1	7	1
11.	जी.एन.एम. रायसेन	54	23	3	8	1	10	1	7	1
12.	जी.एन.एम. झाबुआ	54	23	3	8	1	10	1	7	1

13	जी.एन.एम. सीधी	54	23	3	8	1	10	1	7	1
14	जी.एन.एम. राजगढ़	54	23	3	8	1	10	1	7	1
15	जी.एन.एम. विदिशा	54	23	3	8	1	10	1	7	1
16	जी.एन.एम. दतिया	54	23	3	8	1	10	1	7	1
17	जी.एन.एम. देवास	54	23	3	8	1	10	1	7	1
18	जी.एन.एम. मंदसौर	54	23	3	8	1	10	1	7	1
19	जी.एन.एम. नरसिंहपुर	54	23	3	8	1	10	1	7	1
20	जी.एन.एम. सिवनी	54	23	3	8	1	10	1	7	1
21	जी.एन.एम. बालाघाट	54	23	3	8	1	10	1	7	1
योग		1040	446	59	152	21	191	19	135	17

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष (6 माह की इंटर्नशिप के साथ) की होगी।
2. जी.एन.एम. प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
5. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
6. प्रशिक्षणार्थी को इयूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
7. छात्राओं को कार्य (इयूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. इयूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
10. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
11. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
12. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
13. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।

14. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
15. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
16. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
17. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
18. छात्राओं द्वारा 1,00,000/- (एक लाख रुपये) के बॉण्ड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवार्ये,

मध्यप्रदेश

PNST-2018

**PRE NURSING SELECTION TEST 2018
(BSC NURSING SELECTION TEST)**

**SELECTION RULES FOR ADMISSION
TO BSC. NURSING (4 YEAR COURSE)
IN GOVERNMENT NURSING COLLEGES**

**शासकीय नर्सिंग कालेजों के बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) में
प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के लिए चयन संबंधी नियम**

**(FOR FEMALE CANDIDATE ONLY)
(केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)**

**FORMULATED AND ISSUED BY
GOVT. OF MADHYA PRADESH
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
&
COMMISSIONER OFFICE, DEPT. OF MEDICAL
EDUCATION, SATPUDA BHAWAN, BHOPAL**

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
एवं मध्य प्रदेश भारत शासन
आयुक्त कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग
सतपुडा भवन, भोपाल**

अध्याय-1(ब)

शासकीय बीएससी नर्सिंग कालेजों में स 2018-19 के लिए प्रशिक्षण हेतु चयन

1. सामान्य :

1.1 ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय बीएससी नर्सिंग कालेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलायेंगे।

1.2 ये नियम उन पात्र महिला उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय कालेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं।

2. परिभाषाएँ :

इन नियमों में-

1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है प्री नर्सिंग चयन परीक्षा बीएससी नर्सिंग (पीएनएसटी) PRE-NURSING (B.SC. NURSING) SELECTION TEST (PNST)
3. आयुक्त से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा।
4. संचालक से तात्पर्य है संचालक चिकित्सा शिक्षा सेवार्य एवं संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. वर्ग से तात्पर्य है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार जिनके लिए सीटे प्रचलित नियमों के अंतर्गत आरक्षित की गयी है।

3. प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें-

3-1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ -

प्रवेश हेतु चयन के लिए केवल ऐसी महिला उम्मीदवार पात्र होगी जो भारत का नागरिक हो और शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।

टिप्पणी- मध्य प्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र 06 में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है।

3.2 शैक्षणिक अर्हता- बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में संचालित सीबीएसई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलों से की 10+2 प्रणाली की 12 वी कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

टिप्पणी- अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 2017-18 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। परंतु उन्हें पूरक (सप्लीमेंटी) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

3.3 आयु सीमा- 1 जुलाई 2018 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

टिप्पणी- आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथी अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

3.4 सीटों का आवंटन

3.4.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के सीटों का विवरण-

क्र०	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगिरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (अनारक्षित महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछडा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोकर) (16%)
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एल्लिगन अस्पताल के पास, जबलपुर	60	30	10	12	8
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास उज्जैन	60	30	10	12	8
		120	60	20	24	16

3.4.2 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत-शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सीआरपी लाईन, म.य. चिकित्सालय के पास, इंदौर के सीटों का विवरण-

क्र०	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगिरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (अनारक्षित महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछडा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोकर) (16%)
1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सीआरपी लाईन, इंदौर म.य. चिकित्सालय के पास, इंदौर (म.प्र. शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सन 1960 से कार्यरत)	50	25**	8	10	7
	योग -	50	25	8	10	7

** चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर में अनारक्षित श्रेणी की 25 सीटों में से 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी।

3.4.3 मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग की ऐसी महिला उम्मीदवार जो होने का दावा करती है, उसे बीएससी नर्सिंग कालेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के लिए क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

टिप्पणी-

1. विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
2. जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस नियम पी.एन.एस.टी. परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 1,2,3 और 4 के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 1 में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तो वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र।
4. विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

4. चयन प्रक्रिया-

- 4.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी. नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा पीएनएसटी; चयन परीक्षा आयोजित की जावेगी। बोर्ड द्वारा, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूचियां वर्गवार जारी कर प्रवेशप्रक्रिया संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर द्वारा पूर्ण करायी जाएगी।
- 4.2 इस चयन परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।
- 4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता'- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा। प्रथम जीवविज्ञान, द्वितीय रसायन, तृतीय भौतिकी एवं चतुर्थ अंग्रेजी।
- 4.4 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है तो ऐसी

स्थिति में उम्मीदवार को काउंसलिंग के दौरान यह विकल्प होगा कि वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

4.5 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीटों के मान से चार गुना वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया -

5.1 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सीट्स का आवंटन आनलाईन और/ या ऑफलाईन के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ और शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर द्वारा किया जावेगा।

5.2 शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर में 50 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग की विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में अलग से जारी की जावेगी।

5.3 आवंटन पश्चात प्रवेश प्राप्त छात्राओं को महाविद्यालयों में निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति देना होगी।

5.4 आवंटन के पश्चात कालेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

5.5 प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्रों की सूची- उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवीं की अंकसूची एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची के साथ।
2. 10+2 प्रणाली की कक्षा बारहवीं की अंकसूची एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलाजी साइंस बायो ग्रुप) एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची के साथ।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रारूप 01/03 (जो लागू हो) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावे।
5. प्रारूप 02 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के माता-पिता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र ।
6. प्रारूप 04 भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्य प्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी शपथ पत्र।

7. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र । गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
8. प्रवेश के समय प्रवेशित छात्राओं को अनुबंध पत्र राशि रू0 २ लाख का 100 रू0 के स्टॉप पेपर पत्र एवं सॉल्वेंसि प्रमाण-पत्र।
9. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को अवर सचिव म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-63/03/55/चि0शि0/1,भोपाल दिनांक 06.04.2004 के अनुसार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के समय अनिवार्य रूप से रू0 32500/- (रू0 बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) का सी0ई0ओ0, ऑटोनोमस सोसायटी, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर के नाम से देय किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ लेकर आवें । (शिक्षण शुल्क रू0 25000/- प्रतिवर्ष, रू0 1000/- कम्प्यूटर फीस एक बार एवं रू0 6000/- होस्टल फीस प्रतिवर्ष एवं रू0 500/- कॉशन मनी एक बार रिफण्डेबल)

टिप्पणी-

1. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
 2. काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि अध्याय एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।
 3. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5.6 उम्मीदवार को मेरिट सूची के आधार पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा।अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन समय सीमा में कराना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। आवंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में उपस्थिति देने की तिथि..... निर्धारित है उक्त सत्यापित दस्तावेज गलत पाए जानेपर प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
6. प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा-
 - 6.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय,जबलपुर/उज्जैन में सभी प्रवेशित 120 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर म0प्र0 में कहीं भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन चिकित्सालयों एवं स्थानों में अथवा शासकीय नर्सिंग

महाविद्यालय इंदौर के 50 प्रवेशित उम्मीदवारों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन महाविद्यालय अस्पताल/संस्थानों में 5 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

6.2 शासन नियमानुसार नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./एस.सी. एवं ओ.बी.सी.) छात्राओं को आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला इंदौर द्वारा परीक्षा शुल्क एवं प्रशिक्षण शुल्क आय प्रमाण-पत्र के आधार पर वापस कर दी जाती है एवं छात्राओं को शासन नियमानुसार प्रतिमाह ₹0 3500/- स्टाफफंड प्रदाय किया जाएगा।

6.3 प्रवेश एवं नियुक्ति रद्द करना-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, ससंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश/ नियुक्ति पर लेने में सफल हो गया है या प्रवेश/नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवारों को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश/नियुक्ति को संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश/नियुक्ति संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

7- चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को - उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

9. प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम-

बीएससी0 नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरांत परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट-ब में दिये गये हैं।

10. प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग)-

बीएससी0 नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप ₹0 5200-20200-2800 (शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित वेतनमान) में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के जाप क्र0 एफ.7-26/93/1/आर.प्रा., दि0 08 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट-द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जानेवाले पदों के लिए माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120+50 सीटोंका केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा।

क्र0	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगिरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (अनारक्षित महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछडा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोकर) (16%)
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एलिंगन अस्पताल के पास, जबलपुर	60	30	10	12	8
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास उज्जैन	60	30	10	12	8
		120	60	20	24	16

3.4.2 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत-शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सीआरपी लाईन, म.य. चिकित्सालय के पास, इंदौर के सीटों का विवरण-

क्र0	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगिरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (अनारक्षित महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछडा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोकर) (16%)
1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सीआरपी लाईन, इंदौर म.य. चिकित्सालय के पास, इंदौर (म.प्र. शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सन 1960 से कार्यरत)	50	25**	8	10	7
	योग	50	25	8	10	7

** चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर में अनारक्षित श्रेणी की 25 सीटों में से 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी।

बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी तथा प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आईएनसी/मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के मापदंड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं नियम का पालन करना होगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को इयूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (इयूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. इयूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
12. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

14. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
16. छात्राओं द्वारा 2,00,000/- (दो लाख रुपये) के बॉण्ड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध बॉण्ड भरना होगा।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवार्ये,

मध्यप्रदेश

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)

- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं /2017/280/364आएक भोपाल/प्र., दिनांक 2017मई 31 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(ii) **लेखन लिपिक की सुविधा :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा या अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा। यदि परीक्षार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

(iii) **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए ।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी ।

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाईजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाइट देखें)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, इशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना चा उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएँगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएँगी ।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी 3-14/2015/3/एक भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा ऑनलाईन आयोजित की जा रही परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। उक्त परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी करने के उपरांत परिणाम की प्रति के साथ चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी भी विभागो को दी जाती है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी विभागों को प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि भर्ती देने के पूर्व अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक परीक्षण कर मैच करा ले जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दी थी वही व्यक्ति भर्ती के लिए उपस्थिति दे रहा है, इससे पररूपधारण की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसे अधिक प्रमाणित करने के लिए यह भी निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत तीन माह में कभी भी रैंडम आधार पर पुनः बायोमेट्रिक जांच कर ली जाए।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-11 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-11 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
 3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्टि करना पर्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेगी ।
 4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार

(Aadhar) से लिंक नहीं था। इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा।

5. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।

(vi) पहचान पत्र के मीनू में पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा **आधार नम्बर** नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा

नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन

पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

- 2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID- complaint.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
03.05.2018	17.05.2018	15	03.05.2018	22.05.2018	20

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	10.06.2018	रविवार	प्रथम	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	02 घंटे	150
2.			द्वितीय	दोपहर 02:00 से 04:00 तक	02 घंटे	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 40/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5.दमोह	6.रतलाम	7.सागर	8.सतना
9.उज्जैन			

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबलड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय-3

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा-2018

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy, Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling. Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae.

Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation,

fissions, X- ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity

Biot-Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

2. CHEMISTRY :

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitution of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT and MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nuclear reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action: K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction,

Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition

metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in

organometallics. Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY:

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, menclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T benzene

hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

3. BIOLOGY:

BOTANY

Structure organisation of cell, cell theory. Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organelles: nucleus, mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, micro bodies, microfilaments, ribosomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material, DNA replication, genetic code, transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure, reproduction and economic importance of viruses, Mycoplasma, Bacteriophage, cyanobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification, binomial nomenclature: external morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis. Fertilization, endosperm and embryo development in angiosperms. Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition, essential elements and their functions: uptake of minerals, transport of water and solutes.

Transpiration, photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action, importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment - air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses (gram), oil seeds(ground nut), sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industries manufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY :

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints, muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal co ordination.
- Vitamins and minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering(brief idea), mutation gene mutation.

- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- binomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.

- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.

- Protozoan disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.

- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS) . STD, immune response, vaccines and antisera allergies.

- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.

- Wild conservation.

- Pesticides - users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension

2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation,

Prefixes, Suffixes.

3. Grammar and usage :

(a) Articles and determiners.

(b) Agreement between the subject and the verb.

(c) Time and tenses.

(d) Prepositions and phrasal verbs.

(e) Auxiliaries including modals.

4. Transformation of sentences.

(a) Voices : active and passive.

(b) Narration : direct and indirect.

(c) Degrees of comparison

(d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.

5. Common errors.

6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

अध्याय-4

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम

पिता का नाम

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम.....

धर्म

व्यवसाय

पता

.....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला.....के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम/नगरवि. खं.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति /जनजाति..... का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपयेहैं.

हस्ताक्षर

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय

मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी,
वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम

1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम)आत्मज श्री
..... निवासी ग्रामजिला/संभाग
.....मध्यप्रदेश के निवासी है जोजाति
.....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा
वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य
किया गया है.

श्री..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः
मध्यप्रदेश के जिला संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का नाम)
क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के
कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक
6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया
है.

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

प्रपत्र - 4 :
भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी
(उम्मीदवार का नाम)
श्री/कुमारी.....के पिता/माता
सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला
..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक

(कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारीआत्मजा पत्नी श्री
.....ने नियमित छात्रा के रूप में इस
संख्या(संस्था का नाम) में सत्र
..... से सत्र तक अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालय सील)

दिनांक

प्रपत्र - 6
वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती जो तहसील
.....जिला..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि
वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है।

(क) जो विभाग मेंपर
..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो विभाग मेंपद पर पदस्थ
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो (तिथि) को इस विभाग से
सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो विभाग मेंपद पर पदस्थ
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए (तिथि) को हो गई
थी।

अथवा

(घ) जो विभाग मेंपद पर पदस्थ
मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

.....
कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है,
जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि में मध्यप्रदेश में स्थित
..... विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय
शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी

श्री/श्रीमती.....का/की/पु

त्री है, जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित

है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज ैबीमउम)

है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक.....

Professional Examination Board प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vfkok vxst h ds y/lq gLrk(lj ekl; ugha gkxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

